पत्रांकः---------   दिनांकः---------

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

बन्दोबस्ती आम सूचना–2013–14

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का वर्ष 2013–14 के दिनांक–01/04/2013 से 31/03/2014 (एक वर्ष) तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित (क) तिथि 08/01/2013 को समय–12.30 बजे अपराह्न में नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्त्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति जमा राशि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय
1	राजा बाजार सब्जी मार्केट (पक्का स्टॉल एवं पैसेज स्टॉल को छोड़कर) एवं कौड़ा मैदान स्थित गढ़ैया परती जमीन तथा बाजार	2,29,425.00	57,357.00	(क)दिनांक–08/01/2013 अपराहन 12.30 बजे अनुवर्त्ती तिथि– (ख) दिनांक– 09/01/2013 अपराहन 12.30 बजे (ग)दिनांक–10/01/2013 अपराहन 12.30 बजे
2	कर्पूरी मार्केट	11,000.00	2,750.00	
3	अस्पताल रोड शौचालय	22,260.00	5,565.00	
4	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक	70,140.00	17,535.00	
5	पूर्वी किला गेट शौचालय	1,10,250.00	27,563.00	
6	श्रमचलित वाहन यथा रिक्शा एवं साईकिल	58,380.00	14,595.00	

आवश्यक शर्त्तें:–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी मुंगेर द्वारा निर्गत या वोटर कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति (जमानत) की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को प्रतिभूति (जमानत) की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल डाक वक्ता की प्रतिभूति की राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
4. सक्षम पदाधिकारी जो डाक को स्वीकृति प्रदान करेगें उन्हें यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपरिहार्य कारणों से डाक को अस्वीकृत कर दें अथवा प्रश्नगत डाक से हटा लें।
5. बन्दोबस्ती स्थल/बाजार की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
6. सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
7. सुलभ शौचालय का डाक में महादलित वर्ग से आने वाले इच्छुक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व से निर्धारित दर पर ही श्रम चलित वाहन का वसूली करेगें जो निम्न प्रकार हैः–

(क)	तीन पहिया रिक्शा	–	15/– (पन्द्रह) रूप्ये
(ख)	साईकिल	–	10/– (दस) रूप्ये
(ग)	चार चक्का ठेला	–	20/– (बीस) रूप्ये
(घ)	तीन चक्का ठेला	–	15/– (पन्द्रह) रूप्ये
(ड़)	टमटम, बग्घी, बैलगाड़ी	–	20/– (बीस) रूप्ये

महापौर
नगर निगम, मुंगेर।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।
11/12/12

ज्ञापांकः 701/मु०   दिनांकः 11.12.2012

प्रतिलिपिः– उप समाहर्त्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर की सेवा में सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि विभागीय सूचना पट पर इन्हें प्रकाशित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।
11/12

ज्ञापांकः 701/मु०   दिनांकः 11.12.2012

प्रतिलिपिः– माननीय महापौर/उपमहापौर/सशक्त स्थायी समिति सदस्य/प्रभारी प्रधान सहायक/लेखापाल/रोकड़पाल नगर निगम, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.12.12
नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।
11/12